

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 273/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 01.08.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 01.08.2025 को थाना महाराजगंज पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या की घटना में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। पूर्व में घटना में शामिल 05 अन्य अभियुक्तों को भी आला कत्ल 01 अदद भाला के साथ गिरफ्तार किया चुका है।

थाना-महाराजगंज

गैर इरादतन हत्या की घटना में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। पूर्व में घटना में शामिल 05 अन्य अभियुक्तों को भी आला कत्ल 01 अदद भाला के साथ गिरफ्तार किया चुका है।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 29.07.25 को वादिनी श्रीमती माली देवी पत्नी मनिराम निषाद सा0 महाजी देवारा जदीद थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि विपक्षीगण द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर आवेदिका के पति मनिराम उम्र 36 वर्ष को ललकार कर गाली गुप्ता देते हुए लाठी डण्डा भाला राड से मारना पीटना जिससे आवेदिका के पति को भाला से मार दिया गया, जिन्हे इलाज के लिए ले जाते समय मृत्यु हो जाना व तथा बीच बचाव करने पर आवेदक व चन्दन को मारने पीटना व आवेदिका को जान से मारने की धमकी देना जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 212/25 धारा 115(2),191(2),191(3),131,352,351(3),105 बीएनएस बनाम 1.रामबचन निषाद पुत्र राजबली 2.जगदीश निषाद पुत्र रामबचन 3.सतई निषाद पुत्र रामबचन 4.संदीप निषाद पुत्र रामबचन 5.योगेश निषाद पुत्र फौजदार 6.अर्जुन निषाद पुत्र हरिवंश निषाद निवासीगण महाजी देवारा जदीद थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक महाराजगंज द्वारा करते हुए 24 घण्टे के भीतर दिनांक 31.07.2025 को घटना में शामिल 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 01.08.2025 को प्र0नि0 केदारनाथ मौर्य मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अर्जुन निषाद पुत्र हरिवंश निषाद निवासी महाजी देवारा जदीद थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ को चिकनहवा बाजार से आगे सुबह समय 07.30 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण/अपराध का तरीका:-

गिरफ्तार अभियुक्त अर्जुन निषाद उपरोक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि ने बताया कि बिजली की कटिया को लेकर हमारे व मनिराम के बीच कहासुनी हो रही थी जिसमें मनिराम द्वारा गाली दिया जा रहा था इसी बात पर रामबचन निषाद घर से भाला लेकर आये तथा डराने के लिए भाला आगे किये जिससे भाला मनिराम को लग गया जिसे सतई द्वारा मौके पर और घुमाकर निकालने का प्रयास किया जिससे मनिराम को चोट ज्यादा लग गई तथा इलाज के लिए जाते समय उसकी मृत्यु हो गयी श्रीमान् जी हम लोगों द्वारा जानबूझकर हत्या नहीं किया गया गलती से चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. अर्जुन निषाद पुत्र हरिवंश निषाद निवासीगण महाजी देवारा जदीद थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0- 212/2025 धारा 115(2),191(2),191(3),131,352,351(3),105 बीएनएस थाना महाराजगंज, आजमगढ़।

पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1.रामबचन निषाद पुत्र राजबली उम्र 58 वर्ष सा0 महाजी देवारा जदीद थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़
2. जगदीश निषाद पुत्र रामबचन उम्र 42 वर्ष सा0 महाजी देवारा जदीद थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़
3. सतई निषाद पुत्र रामबचन उम्र 36 वर्ष सा0 महाजी देवारा जदीद थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़
4. संदीप निषाद पुत्र रामबचन उम्र 23 वर्ष सा0 महाजी देवारा जदीद थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़
5. योगेश निषाद पुत्र फौजदार उम्र 36 वर्ष सा0 महाजी देवारा जदीद थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले टीम का विवरण:-

- 1-प्र0नि0 केदारनाथ मौर्य, थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़
- 2.कां0 अमन राज विश्वकर्मा, थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़
- 3.कां0 अभिषेक चौधरी, थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़



02.थाना-सिधारी:- अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी/घटना का अनावरण-

आज दिनांक 01.08.2025 को उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा चौकी प्रभारी मूसेपुर थाना सिधारी आजमगढ़ मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति राममिलन यादव पुत्र बालचन्द्र यादव साकिन कोटवा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 27 को बेलईसा ओवरब्रिज के नीचे रेलवे क्रासिंग के पास बहद ग्राम बेलईसा से समय करीब 03.12 बजे 01 अदद देशी तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 373/25 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगी का विवरण-

01 अदद देशी तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोरा

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

01. राममिलन यादव पुत्र बालचन्द्र यादव साकिन कोटवा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 373/25 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना सिधारी आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 373/25 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना सिधारी आजमगढ़



03.थाना-तरवा:- छिनैती की एक अदद मोबाईल फोन व घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाइकिल के साथ 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 30.07.2025 को वादी विशाल गौतम पुत्र संजय राम ग्राम दशरथपुर थाना बहरियाबाद जिला गाजीपुर द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि आज समय लगभग 16.00 बजे जब वह अपनी मोटर साइकिल से पौहारी बाबा के दर्शन करने जा रहे थे और थाना तरवां के ग्राम कर्ता के गेट के पास पहुँचा था कि इतने में 03 अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की मोटरसाइकिल अचानक रूकवाकर वादी का मोबाइल फोन कम्पनी वन प्लस छीन लिया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 -202/2025 धारा 304(2) बीएनएस बनाम 03 नफर अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 31.07.2025 को उ0नि0 शिवम द्विवेदी मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये एक बाल अपचारी को रोशनपुर मुरारपुर पुलिया से समय करीब 21.40 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। जिसके पास से छिनैती की एक अदद मोबाइल one pluse तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल पैशन प्रो बरामद किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 -202/2025 धारा 304(2) बीएनएस थाना तरवां जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

01. एक अदद मोबाइल one pluse
02. घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाइकिल पैशन प्रो

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम-

01. उ0नि0 शिवम द्विवेदी थाना तरवां जनपद आजमगढ़
02. का0 मनोज सरोज थाना तरवां जनपद आजमगढ़
03. का0 संदीप सिंह पटेल थाना तरवां जनपद आजमगढ़

